उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः ____ /XXVII(7)/19–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक 27 मई, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत नियमित एवं मौलिक रूप से नियुक्त एलोपैथिक चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 20% "प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)" अनुमन्य किये जाने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–26/XXVII(7)/18-50(14)/2017 दिनांक 23 जनवरी, 2019 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) प्रशासनिक पदों पर कार्यरत चिकित्साधिकारियों को भी उक्त प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)" अनुमन्य होगा, परन्तु उक्त चिकित्साधिकारियों को उन्हें आवंटित कार्यों के साथ–साथ विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत वरिष्ठ/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथासमय राजकीय चिकित्सालयों में क्लीनिकल कार्य करने हेतु दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने की बाध्यता होगी। उक्त आदेश की अवहेलना किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित चिकित्सक का प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)" तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।

(2) प्रशासनिक पदों पर कार्यरत चिकित्साधिकारियों द्वारा स्वैच्छिक रूप से भी राजकीय चिकित्सालयों में क्लीनिकल कार्य सम्पादित किया जा सकता है, बशर्ते कि इससे उन्हें आवंटित प्रशासनिक कार्यदायित्व प्रभावित न हो।

(3) प्रशासनिक पदों पर कार्यरत चिकित्सकों के साथ–साथ क्लीनिकल कार्यों को सम्पादित कर रहे चिकित्सकों के निजी प्रैक्टिस करने की सूचना प्राप्त होने एवं इसकी विभागीय पुष्टि हो जाने पर तत्काल प्रभाव से उन्हें अनुमन्य प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA) समस्त सेवाकाल के लिए समाप्त कर दिया जायेगा साथ ही पूर्ववर्ती तिथि, जबसे निजी प्रैक्टिस करने का तथ्य विभागीय पुष्टि के आधार पर संज्ञान में आ जाये, उक्त तिथि से पूर्व में दिये गये भत्ते की वसूली भी की जायेगी।

2. कार्यालय–ज्ञाप संख्या–26/XXVII(7)/18-50(14)/2017 दिनांक 23 जनवरी, 2019 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 148 (1)/XXVII(7)/19–50(14)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
7. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
8. सम्बन्धित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

Scanned by CamScanner